राजस्थान विधान सभा

आठवां सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2017

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्रीमती अलका सिंह, सदस्य, विधान सभा, अमरूदों के बाग, जयपुर स्थित कच्ची बस्ती में अवैध विद्युत कनेक्शनों के संबंध में ऊर्जा राज्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, कृषि विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

कृषि विभाग

1- अधिसूचना संख्या:एफ.4(22)कृषि/गुप-II/2008 दिनांक 12 मई, 2016, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या:एफ.10(2)कृषि/गुप-II/75 दिनांक 15 जुलाई, 2016, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जारी विभागीय विज्ञप्ति संख्या:एफ.10(2)कृषि/गुप-II/75 दिनांक 23 अप्रेल, 1977 के क्रम में उक्त अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या:एफ.10(2)कृषि/गुप-II/75 दिनांक 23 अगस्त, 2016, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जारी विभागीय विज्ञप्ति संख्या:एफ.10(2)कृषि/गुप-II/75 दिनांक 23 अप्रेल, 1977 के क्रम में उक्त अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया गया है; एवं

4- अधिसूचना संख्या:एफ.10(2)कृषि/गुप-II/75 दिनांक 05 अक्टूबर, 2016, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जारी विभागीय विज्ञप्ति संख्या:एफ.10(2)कृषि/गुप-II/75 दिनांक 23 अप्रेल, 1977 के क्रम में उक्त अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया गया है ।

जारी..2..

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन

श्री गजेन्द्र सिंह, पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखेंगे ।

4. वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक, निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

1. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से **जनलेखा समिति, 2017-2018** के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से **प्राक्कलन समिति 'क', 2017-2018** के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से **प्राक्कलन समिति 'ख', 2017-2018** के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से **राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018** के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।"

5. वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम-232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जनलेखा समिति, 2017-2018, प्राक्कलन समिति "क", 2017-2018, प्राक्कलन समिति "ख", 2017-2018 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018, प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है ।

जारी..3..

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें ।"

6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

क्र.सं.	मांग संख्या		मुख्य शीर्षक
1.	19	-	लोक निर्माण कार्य
2.	20	-	आवास
3.	21	-	सड़कें एवं पुल

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 20 मार्च, 2017